शिक्षा विभाग, बिहार
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक..........................

संचिका संख्या–8/आ० 5–71/2012 ..../निगरानी विभाग, (अन्वेषण ब्यूरो) बिहार, पटना के धावादल द्वारा दिनांक 27.12.2011 को श्री गोपाल प्रसाद सिंह, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मानपुर, गया सम्प्रति प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत्, सम्प्रति निलंबित, निर्धारित मुख्यालय–क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक का कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया तथा इनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या 090/2011 दिनांक 27.12.2011 दर्ज की गयी।

उपर्युक्त परिपेक्ष्य में विभाग द्वारा समानांतर रुप से आदेश ज्ञापांक 51 दिनांक 11.01.2012 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (2) के अन्तर्गत श्री सिंह को हिरासत में लिये जाने की तिथि 27.12.2011 से निलंबित किया गया तथा आदेश ज्ञापांक 137 दिनांक 30.01.2012 द्वारा उनके विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (03)(1) में निहित प्रावधान के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक 876 दिनांक 29.06.2012 द्वारा श्री सिंह को न्यायिक हिरासत से रिहा होकर जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया के कार्यालय में दिनांक 18.04.2012 को दिए गए योगदान की तिथि से योगदान स्वीकृत करते हुए निलंबन से मुक्त किया गया तथा पुनः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (03)(II) में निहित प्रावधान के आलोक में आदेश ज्ञापांक 877 दिनांक 29.06.2012 द्वारा उक्त कार्यालय में दिये गये योगदान की तिथि 18.04.2012 के प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया।

निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो), बिहार, पटना से प्राप्त पत्र के आलोक में श्री सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (4) में निहित प्रावधान के आलोक में निदेशालय के पत्रांक 940 दिनांक 16.07.2012 द्वारा उनसे बचाव अभिकथन की मांग की गयी। तदोपरांत निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 297 दिनांक 07.03.2013 द्वारा श्री सिंह से प्राप्त बचाव अभिकथन के समीक्षोपरांत उसे अस्वीकृत करते हुए इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय यथावत् रखा गया। उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मगध प्रमंडल, गया को संचालन पदाधिकारी तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), गया को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक–सह–संचालन पदाधिकारी, मगध प्रमंडल, गया के पत्रांक 804 दिनांक 06.09.2013 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही से संबंधित उपलब्ध कराए गए जॉच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक 1769 दिनांक 12.12.2013 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया तथा श्री सिंह को निदेशित किया गया कि वे प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में अपना योगदान समर्पित करेंगे। उक्त आदेश के आलोक में श्री सिंह के द्वारा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में अपना योगदान समर्पित किया गया।

श्री सिंह के विरुद्ध अधिरोपित आरोप गंभीर प्रकृति का है तथा संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच के क्रम में इस तथ्य का संज्ञान नहीं लिया गया कि श्री सिंह द्वारा रिश्वत लिये जाने का कृत्य उनके कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा और सरकारी सेवक से अपेक्षित आचार की प्रतिकूल कार्य को प्रमाणित करता है। श्री सिंह के द्वारा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के कंडिका 03 (01) I, II एवं III का स्पष्ट रुप से उल्लंघन किया गया है। फलतः निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 234 दिनांक 12.02.2014 द्वारा इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (1)(क) एवं (ग) के आलोक में निलंबित किया गया तथा क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक का कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना में मुख्यालय निर्धारित किया गया। तदुपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 18 (02) एवं (03) में निहित प्रावधान के आलोक में निदेशालय के पत्रांक 867 दिनांक 14.02.2014 द्वारा इनसे लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी।

निदेशालय के पत्रांक 867 दिनांक 14.02.2014 के आलोक में श्री सिंह द्वारा लिखित अभ्यावेदन उपलब्ध कराया गया, जिसे अस्वीकृत करते हुए श्री गोपाल प्रसाद सिंह, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मानपुर, गया सम्प्रति प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत्, सम्प्रति निलंबित, निर्धारित मुख्यालय–क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक का कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना को "बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के भाग (V) के नियम 14 (XI) के तहत आदेश निर्गत की तिथि से सेवा से बर्खास्त (Dismiss) किया जाता है।

ह०/–
(अमरजीत सिन्हा)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक .... पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः– निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, गया/पटना/क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मगध प्रमंडल, गया/पटना प्रमंडल, पटना/जिला शिक्षा पदाधिकारी, गया/पटना/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), गया/पटना/कोषागार पदाधिकारी, गया/पटना एवं श्री गोपाल प्रसाद सिंह, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मानपुर, गया सम्प्रति प्राथमिक शिक्षा निदेशालय में पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत्, सम्प्रति निलंबित, निर्धारित मुख्यालय–क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक का कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक .... पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक 509 पटना, दिनांक 4/4/14

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव।

E:\NEHA SINHA\Office Order.doc